



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2018/ ज्येष्ठ 7, 1940

No. 193]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2018/ JYAISTHA 7, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विंड ऑपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के लिए कॉस्टिंग्स, चाहे वह मशीनीकृत, अपरिष्कृत और सब-असेम्बलड रूप में है या सब-असेम्बली अथवा विंड ऑपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के एक कल-पुरजे के रूप में है" के आयातों पर पाटन-रोधी जांच के मामले में सेस्टेट के दिनांक 13.03.2018 के अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/50938-50942/2018-सीयू (डीबी) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम की पुनःजांच।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

**एफ. सं. 14/28/2013-डीजीएडी.—** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मेसर्स लारसेन एंड टोबरो ने पाटन-रोधी याचिका दायर की थी और प्राधिकारी ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 को अंतिम जांच परिणाम जारी किया था (जिसे आगे "एफएफ" भी कहा गया है) जिसमें उन्होंने "चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विंड ऑपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के लिए कॉस्टिंग्स, चाहे वह मशीनीकृत, अपरिष्कृत और सब-असेम्बलड रूप में है या सब-असेम्बली अथवा विंड ऑपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के एक कल-पुरजे के रूप में है" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

उपरोक्त विषयक मामले की जांच 01 फरवरी, 2016 को शुरू की गई थी। प्रारंभ में इस मामले की जांच की शुरुआत 18 महीनों (01.04.2014 से 30.09.2016 तक) की जांच अवधि मानते हुए की गई थी। इस प्रकार जांच अवधि के 18 महीने और क्षति की अवधि में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच अवधि को शामिल किया गया था। इसके अंतिम जांच परिणाम जारी होने के बाद दिनांक 11 अगस्त, 2017 के उपरोक्त जांच परिणाम पर एक शुद्धि पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें अंतिम जांच परिणाम के पैरा 140 में उल्लिखित शुल्क तालिका के बारे में स्पष्टीकरण दिए गए थे। शुद्धि पत्र सहित उपरोक्त जांच परिणाम के अनुसरण में राजस्व विभाग ने दिनांक 30 अगस्त, 2017 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 42/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया था।

**2. सेस्टेट का आदेश:** उसके बाद चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातकों (मेसर्स जिआंगसू एफएडब्ल्यू कंपनी लिमिटेड, मेसर्स डालियान हुआरूई हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग कंपनी लिमिटेड और मेसर्स डालियान हुआरूई स्पेशल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड) द्वारा तीन अपीलें दायर की गई थीं और एक अपील भारत से आयातक (मेसर्स इनोक्स विंड लिमिटेड) द्वारा और एक अन्य अपील घरेलू उद्योग (माननीय सेस्टेट द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय के पैरा 14 में यथा समर्थित अंतिम जांच परिणाम के पैरा 23 से 33 के अनुसार घरेलू उद्योग, मेसर्स ब्राडकेन इंडिया लिमिटेड) दायर की गई थी।) माननीय सेस्टेट ने उक्त जांच के मामले में दिनांक 13.03.2018 को अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/50938-50942/2018-सीयू (डीबी) जारी किया था।

**3.** अपीलकर्ता तीन निर्यातकों और एक आयातक ने मुख्यतया विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग के दायरे के साथ-साथ पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अपीले दायरे की थीं, जिनमें उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। माननीय सेस्टेट ने अपने निर्णय के पैरा 15 में यह निर्णय दिया था कि चीन में तीन निर्यातकों और भारत में एक आयातक द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के विरुद्ध अपीलें दायर करने की कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार माननीय सेस्टेट ने इन अपीलों को खारिज कर दिया था।

**4.** घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निम्नतर पाटन-रोधी शुल्क का निर्धारण करने के विरुद्ध अपील दायर की है। घरेलू उद्योग ने (निर्णय के पैरा 9 और 11 में उल्लिखित अनुसार) निवेदन किया है कि निर्यातक चीन से हैं और यह माना हुआ तथ्य है कि चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 7 का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग का निवेदन है कि चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग की अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स की लागत के आधार पर किया गया है। निर्यातकों ने भारत को परिष्कृत कॉस्टिंग्स का निर्यात किया है। पाटन मार्जिन का परिकलन, अपरिष्कृत की परिकलित कीमत (घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर) को ध्यान में रख कर किया गया है और परिष्कृत कॉस्टिंग्स के लिए निर्यात कीमत तय की गई है। यह पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है। तदनुसार, लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा, ऐसे शुल्क से बहुत कम है, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए था।

**5.** घरेलू उद्योग ने न्यायालय में इस मुद्दे का विस्तार से उल्लेख किया है और यह तर्क दिया है कि क्षति रहित कीमत (एनआईपी) और संरचित सामान्य मूल्य/सीएनवी (जो कि मुख्यतया एनआईपी पर आधारित है) का परिकलन, अपरिष्कृत भार मात्रा (जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में उल्लिखित की है) द्वारा कुल लागत को विभाजित करके किया गया है। जबकि पहुंच मूल्य (एलवी) और निबल निर्यात कीमत (एनआईपी रहित पहुंच मूल्य) का परिकलन निर्यात मूल्य को परिष्कृत भार मात्रा (जो कि अपरिष्कृत भार से कम है) से विभाजित करके किया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग के अनुसार क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन (संरचित सामान्य मूल्य रहित निबल निर्यात कीमत) का परिकलन, कमतर राशि के बतौर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्नतर शुल्क होता है, जो अन्यथा नहीं होता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि समस्त चार कारकों (एनआईपी, सीएनवी, एलवी और एनआईपी) का परिकलन, केवल एक भार को ध्यान में रखते हुए (या तो अपरिष्कृत भार अथवा परिष्कृत भार) किया जाना चाहिए ताकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उचित तुलना की जा सके।

**6.** घरेलू उद्योग द्वारा दायर अपील के आधार पर माननीय सेस्टेट ने घरेलू उद्योग द्वारा उपरोक्त पैरा 4 में उठाए गए केवल भार के सीमित मुद्दे पर इस मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ वापस लौटा दिया है कि वे इस पहलु

पर घरेलू उद्योग द्वारा किए वास्तविक दावों की नए सिरे से जांच करें और उसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा करें। सेस्टेट के आदेश के पैरा 16 और 17 में दिए गए संबद्ध उद्धरण नीचे दिए गए हैं:-

**16.** “घरेलू उद्योग की अपील को ध्यान में रखते हुए हम नोट करते हैं कि अपीलकर्ता की केवल यही शिकायत है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की मात्रा का निश्चरण करने में गंभीर त्रुटि की है। इसका कारण यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य/क्षति रहित कीमत और निर्यात कीमत/आयातों की पहुंच कीमत के लिए समान भार को तुलना करने के लिए अपनाया है। निर्यातित वस्तुएं मुख्यतया मशीनीकृत कॉस्टिंग्स थीं। तुलना घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स के साथ की गई है। चूंकि अंतिम जांच परिणाम में याचिकादाता/घरेलू उद्योग के इस दावे कपर स्पष्ट विश्लेषण और विशिष्ट जांच परिणाम नहीं दिए गए हैं, हमने विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए विद्वान सलाहकार को निर्देश दिया है कि वे समर्थित आंकड़ों के साथ अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई लिखित टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए हम दिनांक 28.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम में उपलब्ध और विश्लेषण पर विचार करने के लिए बाधित हैं। जैसा कि पहले नोट किया गया है, निर्यात मदों के संबंध में प्रमुख पहलु यह है कि इनका परिष्कृत कॉस्टिंग्स के रूप में पर्याप्त रूप से परिष्करण किया जा रहा है और आंकड़ों की तुलना करने के ब्यौरे, घरेलू उद्योग के लिए अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स के हैं, हम यह नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा तय करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण की परिशुद्धता पर स्पष्ट और सूचित निर्णय लेने के लिए इसकी पुनः जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि आवेदक घरेलू उद्योग ने प्रभावशाली ढंग से ऐसा तर्क दिया था कि व्यक्ति ने तुलना में तथ्य परक त्रुटि की है और अपरिष्कृत और परिष्कृत कॉस्टिंग के बीच भार की तुलना में 3% से 12% तक का अंतर हो सकता है, जो कि कॉस्टिंग की किस्म पर निर्भर करता है, हम नोट करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस पहलु पर स्पष्ट और विशिष्ट परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए था। अंतिम जांच परिणाम में ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा 6 (1) के अनुसार पाटन मार्जिन तय करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे। प्रत्येक मामले में ऐसे अंतर के लिए जिससे कीमत की तुलना क्षमता प्रभावित होती है, उसकी मेरिट पर उचित समायोजन किया जाएगा। वर्तमान मामले में तुलना करने के लिए विचाराधीन उत्पाद का भार और भौतिक गुण-विशेषताएं प्रमुख हैं। तदनुसार, अंतिम जांच परिणाम के अनुसार पाटन-रोधी शुल्क लगाने की संपुष्टि करते समय हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वे इस पहलु पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तथ्य परक दावों की नए सिरे से जांच करें। जांच करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पहलु पर अपना अंतिम जांच परिणाम जारी कर सकते हैं। यदि तथ्य परक इनपुट के आधार पर पाटन का मार्जिन और उससे क्षति के प्राचलों में कोई अंतर व्याप्त होता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तदनुसार पाटन-रोधी शुल्क का निश्चरण किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह कार्य आदेश की प्राप्ति की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि पहले नोट किया गया है, अंतिम जांच परिणाम के अनुसार लगाया गया और वसूल किया जा रहा पाटन-रोधी शुल्क तथा सीमा-शुल्क की अधिसूचना फिलहाल निरंतर जारी रहेगी क्योंकि मेरिट पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की संपुष्टि की गई है।

**17.** उपरोक्त परिचर्चा और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयातक और चीन के निर्यातकों द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त निर्देश के साथ घरेलू उद्योग की अपील का निपटारा किया जाता है।”

**7.** इस प्रकार माननीय सेस्टेट ने उपरोक्त पैरा 4 में यथा उल्लिखित (जिसे आगे “भार का मुद्दा” भी कहा गया है) घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए सीमित मुद्दे को छोड़ कर उपरोक्त समस्त अंतिम जांच परिणाम का समर्थन किया है।

## **ख. क्रिया-विधि**

**8.** माननीय सेस्टेट के उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 09.04.2018 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी, जिसमें जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित 10 सहभागियों ने भाग लिया था। इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने

निवेदन और उत्तर यदि कोई हों, तो उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करें। सार्वजनिक सुनवाई के उत्तर में निम्नलिखित पक्षकारों ने या तो अपने लिखित निवेदन किए हैं अथवा उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) मेसर्स झेझियांग जियाली विंड पॉवर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- (ख) घरेलू उद्योग
- (ग) मेसर्स जिओंग गुआन एनर्जी टेक. ग्रुप कंपनी लिमिटेड

### ग. घरेलू उद्योग के निवेदन

9. घरेलू उद्योग के कानूनी सलाहकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) सेस्टेट ने स्वीकार किया है कि विचाराधीन उत्पाद की भार और गुण-विशेषताएं उचित तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और पुनःजांच करने के लिए मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस लौटा दिया है तथा घरेलू और आयातित कॉस्टिंग्स के लिए अपनाए गए भार पर घरेलू उद्योग के दावों की वर्तमान कार्यवाई के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पहुंच कीमत, एनआईपी और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके।
- (ख) घरेलू उद्योग ने अपने एक विक्रेता को अपनी फैक्टरी से अर्ध-परिष्कृत रूप में कॉस्टिंग्स की आपूर्ति की है, जो कि परिष्करण के प्रचालन कार्य करता है। घरेलू उद्योग ऐसे परिष्करण कार्य के लिए उसको प्रभारों का भुगतान करता है। चूंकि बीजक ऐसे विक्रेता को आपूर्ति किए जाने के समय बनाई जाती है, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सूचित ऐसी कॉस्टिंग्स का भार, अर्ध-परिष्कृत कॉस्टिंग्स का भार था क्योंकि इसी रूप में उसने अपनी फैक्टरी से सामग्री का लदान किया है।
- (ग) निर्यातकों ने समस्त कॉस्टिंग्स की आपूर्ति परिष्कृत रूप में की है और साथ ही केवल परिष्कृत कॉस्टिंग्स का भार सूचित किया है। उत्पाद के परिष्करण के फलस्वरूप उसके भार में अत्यधिक कमी हो जाती है, जो कि 20% तक की सीमा में होती है। इस प्रकार उसी उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचित किया गया भार अपरिष्कृत भार होने के कारण आयातकों द्वारा सूचित परिष्कृत भार से अधिक है।
- (घ) मेसर्स जिओन गुआन एनर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से बताया था कि उन्होंने परिष्कृत कॉस्टिंग्स का भार सूचित किया है। मेसर्स जिआंगसु एफएडब्ल्यू फाउंडरी कंपनी लिमिटेड को छोड़ कर सभी निर्यातकों ने परिष्कृत कॉस्टिंग्स का भार सूचित किया है क्योंकि उन्होंने पैकिंग सूची में यथा उल्लिखित भार लदान किया है, जिसमें इन पक्षकारों द्वारा लदान की गई कॉस्टिंग्स का भार निहित है।
- (ङ) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से कभी भी भार को बदलने का अनुरोध नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से मात्र यह कहा था कि वे या तो निर्यातकों की “परिष्कृत कॉस्टिंग्स” के भार को अथवा घरेलू उद्योग की “अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स” के भार का समायोजन करें ताकि नियमावली में यथा निर्धारित उचित तुलना सुनिश्चित की जा सके।
- (च) घरेलू उद्योग की बीजकों में कॉस्टिंग्स का भार उल्लिखित नहीं है। बीजकों में केवल कॉस्टिंग्स की संख्या निहित है। ऐसी स्थिति में अंतिम जांच परिणाम में विकट तथ्य परक त्रुटियां निहित हैं।
- (छ) अपरिष्कृत और परिष्कृत कॉस्टिंग्स के भार में 5% से 12% तक का अंतर व्याप्त है। दो उत्पादों में व्याप्त अत्यधिक अंतर होने से यदि एक किस्म के उत्पाद की एनआईपी की तुलना अन्य किस्म के उत्पाद की पहुंच कीमत से की जाती है, तो इसके फलस्वरूप स्वभाविक है कि अत्यधिक विकृत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होगा।
- (ज) वर्तमान जांच में सभी पक्षकारों को भलीभांति विदित है कि ‘एज कॉस्ट’ और ‘परिष्कृत’ कॉस्टिंग्स की लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर है। यह अंतर इतना अधिक है कि इस कारणवश विभिन्न पीसीएन होता है।
- (झ) याचिकादाता द्वारा 91% बिक्रियां ‘एज कॉस्ट’ कॉस्टिंग्स की थीं। इस प्रकार याचिकादाता द्वारा दी गई उत्पादन की सूचना पर्याप्त रूप से ‘एज कॉस्ट’ कॉस्टिंग्स से संबंधित थी। घरेलू उद्योग ने इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या

कॉस्टिंग्स को अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत कॉस्टिंग्स के रूप में बेचा गया था, अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स के संबंध में विक्रियों और उत्पादन के बारे में सूचित किया है।

- (ज) घरेलू उद्योग की अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स की एनआईपी की तुलना आयातित परिष्कृत कॉस्टिंग्स की पहुंच कीमत के साथ करने के फलस्वरूप अनुपात में कम क्षति मार्जिन बताया गया है। इसी प्रकार का प्रभाव पाटन मार्जिन पर रहा है। चूंकि निर्यातकों की आयातित कॉस्टिंग्स और सूचित भार के आधार पर निर्यात कीमत को अपनाया गया है, इसलिए निर्यात कीमत परिष्कृत कॉस्टिंग्स के भार के संबंध में है। इस प्रकार घरेलू और आयातित उत्पादन की भौतिक गुण-विशेषताओं में अत्यधिक अंतर था, जिसका उचित निदान किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी को या तो तुलनीय किस्मों के उत्पाद को ध्यान में रखते हुए तुलना करने अथवा विकल्प के रूप में इस अंतर के लिए उचित समायोजन करने की आवश्यकता है।
- (ट) निर्यातकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा किस रूप में कॉस्टिंग्स का निर्यात किया गया है। यहां तक कि जब प्राधिकारी ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उनसे विशेष रूप से यह पूछा था, तो निर्यातकों ने केवल उनके भार के स्रोत के संबंध में उत्तर दिया था और न कि उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद के रूप के बारे में बताया था।
- (ठ) वर्तमान जांच का मामला विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बारे में नहीं है और प्राधिकारी वापस भेजने की कार्रवाई के सीमित दायरे से परे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह सेस्टेट द्वारा निर्धारित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कॉस्टिंग का रूप पीसीएन का एक प्राचल है और इसलिए कास्ट के रूप में अथवा परिष्कृत उत्पाद के रूप में उत्पाद का वर्जन नहीं किया जा सकता है।
- (ड) ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि घरेलू उद्योग जानबूझ कर सम्पूर्ण सूचना प्रदान नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा लदान की गई कॉस्टिंग्स के आधार पर सूचना प्रदान की थी।

#### घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

10. सुनवाई पश्चात अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) मेसर्स झेझियांग जिआली विंड पॉवर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि कानूनी सलाहकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदन निम्नानुसार हैं:-
  - (क) प्राधिकारी के ध्यान में यह आया है कि दो पुरजों नामतः हब और मेन फ्रेम्स मात्रा का प्रमुख भाग बनते थे और बाकी पुरजे जिनकी संख्या अधिक थी, लेकिन उनका मात्रा में योगदान नगण्य थी। इसलिए उचित तुलना करने के लिए जांच शुरू करने के समय बनाए गए पीसीएन को घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के परामर्श से पुनःवर्गीकृत किया गया था।
  - (ख) सेस्टेट ने बताया है कि निर्यात मदों के संबंध में प्रमुख पहलु पर्याप्त रूप से परिष्कृत कॉस्टिंग्स है और घरेलू उद्योग के लिए आंकड़ों की तुलना करने के ब्यौरे अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स के लिए है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण की परिशुद्धता पर सूचित निर्णय, पाटन-रोधी शुल्क का निर्धारण करने के लिए है।
  - (ग) सत्यापन अधिकारियों ने बीजकों, वाणिज्यिक बीजकों, पैकिंग सूची, लेखा-चित्रों और भार आदि की जांच की है। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक भार का मापन किया है और भार को रिकार्ड करने के लिए भार मापन मशीन के चित्र लिए हैं। सत्यापन अधिकारियों ने मेसर्स झेझियांग जिआली द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के वास्तविक भार का सत्यापन करने के लिए समस्त आवश्यक सावधानियां बरती हैं।
  - (घ) इसके अतिरिक्त निर्यातक ने यह भी दावा किया है कि सेस्टेट के आदेश के आधार पर अंतिम जांच परिणाम को अंतिम रूप देते समय प्राधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मंगाई जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। घरेलू उद्योग ने जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी को जानबूझ कर सम्पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की है। चूंकि सत्यापन अथवा जांच के समय आवेदकों ने परिष्कृत उत्पादों का कोई दावा नहीं किया है, इसलिए इस चरण में वे ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं और प्राधिकारी का अंतिम जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णायक होगा।

- (ड) प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को असहयोगी माना जाए और साथ ही उसके दावों को खारिज किया जाए। प्राधिकारी द्वारा किया गया निष्पक्ष निष्कर्षण नियमावली के अनुसार है और यह निर्णायक है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं करेंगे।
- (च) निर्यातक ने यह भी निवेदन किया है कि मशीनीकृत उत्पाद पर विचाराधीन उत्पाद के एक संघटक के रूप में विचार नहीं किया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग केवल अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स का उत्पादन करता है और उसकी मशीनिंग अन्य पक्षकार/संविदाकार द्वारा की जाती है और उसे आगे ग्राहकों को बेचा जाता है। इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य सूचना पर विचार नहीं किया जाए और प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अपना अंतिम जांच परिणाम दें।
- (2) मेसर्स जिओंग गुआन एनर्जी टेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि कानूनी सलाहकार द्वारा अपने उत्तर में किए गए निवेदन निम्नानुसार है:-
- (क) यह निवेदन है कि सुनवाई के समय हालांकि निर्यातकों के प्रतिनिधियों द्वारा यह उल्लेख करते समय एक गलती की थी कि उक्त निर्यातक ग्रुप ने केवल परिष्कृत कॉस्टिंग्स के निर्यात किए हैं, फिर भी यह देखा जा सकता है कि जबकि मेसर्स चैन ताईवान ने अपरिष्कृत और परिष्कृत दोनों प्रकार की कॉस्टिंग्स के निर्यात किए थे और मेसर्स जिओंग शान निंगो ने केवल परिष्कृत कॉस्टिंग्स के निर्यात किए थे। इसके अतिरिक्त पुनः आग्रह किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच के समय प्रदत्त किए गए सभी आंकड़े परिष्कृत कॉस्टिंग्स के कच्चे भार पर आधारित थे, जिसका सत्यापन निर्दिष्ट जांच दल द्वारा मौके पर सत्यापन करने पर किया गया था। इसके अतिरिक्त आधिकारिक उप निदेशक, डीजीएडी द्वारा दिनांक 17.07.2017 के अपने ई मेल द्वारा पूछे जाने पर निर्यातक ने दिनांक 18.07.2017 के अपने ई मेल से इसकी संपुष्टि की थी कि निर्यातक ने अपने परिशिष्ट-2 में परिष्कृत कॉस्टिंग्स के कच्चे भार के बारे में सूचित किया था। इसलिए घरेलू उद्योग का यह आरोप निराधार है कि सभी निर्यातकों ने परिष्कृत कॉस्टिंग्स के भार के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की है।

#### **ड. सेस्टेट के दिनांक 13.03.2018 के आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा पुनः जांच**

11. प्राधिकारी ने दिनांक 28.07.2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम और दिनांक 11.08.2017 के संबंधित शुद्धि पत्र तथा सेस्टेट के दिनांक 13.03.2018 के निर्णय के आलोक में मौखिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त टिप्पणियों की जांच की है, जो कि निम्नानुसार है:-

12. **घरेलू उद्योग:** याचिका मूलतः मेसर्स लारसेन एंड टोबरो (जिसे आगे “एलएंडटी” कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। तथापि, मेसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “ब्रेडकेन” कहा गया है) ने एक सतत कंपनी के बतौर दिनांक 3 मार्च, 2016 (जांच शुरू करने की तारीख और जांच अवधि के बाद) को “एलएंडटी” से कोयम्बटूर प्लांट पर संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने की सुविधा का अधिग्रहण कर लिया था। चूंकि इस जांच के शुरू होने के बाद ऐसा अधिग्रहण किया गया था, इसलिए “ब्रेडकेन” ने वर्तमान जांच में सहयोगी याचिकादाता होने का दावा किया था, जिस पर पूर्ववर्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पृष्ठ संख्या 22/एन की टिप्पणियों और पृष्ठ संख्या 37/एन की टिप्पणियों के पैरा 9 में उचित विचार किया गया था। इसलिए आगे “एलएंडटी” और “ब्रेडकेन” को घरेलू उद्योग/“डीआई” अथवा “याचिकादाता” के बतौर उल्लिखित किया गया है। यह निष्कर्ष अंतिम जांच परिणाम के पैरा 23 से 33 के समनुरूप है जिसकी संपुष्टि माननीय सेस्टेट ने अपने उपरोक्त निर्णय के पैरा 14 में की है।

13. **विचाराधीन उत्पाद:** वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विंड ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के लिए कॉस्टिंग्स, चाहे वह मशीनीकृत, अपरिष्कृत और सब-असेम्बलड रूप में है या सब-असेम्बली अथवा विंड ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के एक पुरजे के रूप में है।”

**उत्पादों का विनिर्देशन:** विंडमिल में अनेक कल-पुरजों की आवश्यकता होती है, जिनमें हब, रोटोहब, रोटार नेब, मेन फ्रेम, बेस फ्रेम, मेन फाउंडेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउंडेशन, बीयरिंग हाउसिंग, बीयरिंग स्पोर्ट, होलो शैफ्ट, मेन एक्सिल, रोटार शैफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सिल पिन, मेन शैफ्ट, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टोप, स्टेटर, जेनरेटर कॉस्टिंग्स, जेनरेटर के कल-पुरजे, रोटार, टोरक्यू आर्म स्पोर्ट आदि शामिल हैं। इन कॉस्टिंग्स का उपयोग विंड टरबाईन्स के साथ-साथ ब्लेड्स आदि जैसे कुछ अन्य नॉन-कॉस्टिंग के कल-पुरजों और संघटकों में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत पैदा होती है। ऐसी समस्त कॉस्टिंग्स को, चाहे वह मशीनीकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत या परिष्कृत है या सब-असेम्बलड रूप में है या सब-असेम्बली के रूप में है या एक उपस्कर/संघटक के एक भाग के रूप में है, जो कि विंड-ऑपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स के निमित्त है, वर्तमान जांच में शामिल किया गया है।

14. **घरेलू सत्यापन:** “एलएंडटी” की विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने की सुविधाएं कोयम्बटूर, तमिलनाडु और कांसबहल, ओडिसा में स्थापित थीं। कांसबहल यूनिट ने वर्ष 2012-13 में अपना उत्पादन बंद कर दिया था। इसलिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए केवल कोयम्बटूर प्लांट से संबंधित लागत के आंकड़ों पर विचार किया गया है। “एलएंडटी” (जो अब “ब्रेडकेन” के स्वामित्वाधीन हैं) के विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी रिकार्ड और आंकड़े कॉस्टिंग मेन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोयम्बटूर में उपलब्ध हैं। इसलिए निर्दिष्ट निरीक्षण दल द्वारा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित उनके प्लांट का घरेलू सत्यापन 6.09.2016 से 17.09.2016 तक किया गया था। **यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू सत्यापन के समय घरेलू उद्योग ने संबंधित निरीक्षण दल के समक्ष संबंधित “भार का मुद्दा” नहीं उठाया था।**

15. **निर्यातक सत्यापन:** मामले की जांच करने के लिए दो सत्यापन दौरे किए गए थे, जो कि निम्नानुसार हैं:-

**(क) निर्यातक का पहला दौरा:** चीन में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित तीन उत्पादकों/निर्यातकों (जिनका प्रतिनिधित्व मेसर्ज वर्ल्ड ट्रेड कंसलटेंट्स एंड एडवोकेट्स द्वारा किया गया था) ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए थे, जिनका सत्यापन निर्दिष्ट जांच दल द्वारा चीन के तीन विभिन्न स्थलों पर अवस्थित संबंधित प्रयोज्यता के परिसरों में दिनांक 17.10.2016 से 21.10.2016 तक किया गया था।

- (1) मेसर्ज जिआंगसू फॉ फाउंडर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)
- (2) मेसर्ज डालियान हुआरुई स्पेशल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और
- (3) मेसर्ज झेझिआंग जिआली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

**(ख) निर्यातक का दूसरा दौरा:** चीन में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों (जिनमें पन्द्रह प्रयोज्यता शामिल हैं) के आंकड़ों के दूसरे दौर का सत्यापन, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों में दिया गया है, उपरोक्त निर्दिष्ट जांच दल द्वारा चीन में अवस्थित संबंधित कंपनियों के परिसरों में दिनांक 28.11.2016 से 03.12.2016 तक की अवधि के दौरान पूरा किया गया था।

I. **मेसर्ज जिआंग गुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज, चीन जनवादी गणराज्य (जिनका प्रतिनिधित्व सलाहकार, मेसर्ज अशोक धींगडा एसोसिएट्स द्वारा किया गया था) में निम्नलिखित कंपनियां शामिल हैं:-**

- (4) मेसर्ज जिआंग गुआन एनर्जी टेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (5) मेसर्ज डोंगगुआन जिआंग गुआन मॉलड फैक्टरी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (6) मेसर्ज जिआंगसू ब्राइट स्टील फाईन मशीनरी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (7) मेसर्ज निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउंडरी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (8) मेसर्ज निंगबो जिआंग शांग कास्टिंग ऑयरन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (9) मेसर्ज जिआंग चैन एशिया पेसिफिक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

**II. जिऑंगसू सिनोजित ग्रुप ऑफ कंपनीज, चीन जनवादी गणराज्य (जिनका प्रतिनिधित्व सलाहकार, मेसर्ज लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरण द्वारा किया गया था) में निम्नलिखित कंपनियां शामिल हैं:-**

- (10) मेसर्ज जिऑंगसू सिनोजित विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)
- (11) मेसर्ज टेकटोन एचके लिमिटेड (निर्यातक)
- (12) मेसर्ज चांगझाऊ सिनोजित विंड एनर्जी टेक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (13) मेसर्ज जिआंगियान हेंगुआ मशीनरी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (14) मेसर्ज जिआंगियान क्विजिंग टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (15) मेसर्ज जिआंगियान चांगलिंग न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- (16) मेसर्ज नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) और
- (17) मेसर्ज कोईजुमी मशीनरी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

**III. जैसा कि उपरोक्त पैरा 15 (क) में उल्लेख किया गया है, कंपनियों के एक सहयोगी (जिनका प्रतिनिधित्व सलाहकार, मेसर्ज वर्ल्ड ट्रेड कंसलटेंट्स एंड एडवोकेट्स द्वारा किया गया था) में निम्नलिखित कंपनी शामिल है:-**

- (18) मेसर्ज टेकटोन (एचके) एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

16. मेसर्ज डालियान हुआरूई हैवी इंडस्ट्री कास्टिक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) के लिए जारी निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट (ईवीआर) के परिशिष्ट-2 के सत्यापन के अंतर्गत पैरा 9 में निरीक्षण दल द्वारा निम्नोक्त को नोट किया गया था:-

“इसे नोट किया गया था कि निर्यातक ने उपभोक्ताओं के अनुमोदित रेखा-चित्रों के अनुसार परिशिष्ट-2 में उत्पादों का भार उल्लिखित किया है, जबकि पैकिंग सूची में मामूली भिन्न भार उल्लिखित है। कंपनी के तकनीकी दल ने यह स्पष्ट किया था कि कॉस्टिंग के प्रचालन में रेखा-चित्र के अनुसार सही भार प्राप्त करना कठिन है। तथापि, चूंकि ग्राहक प्रति अदद भुगतान करते हैं, परिशिष्ट-2 में आरेखण भार निर्दिष्ट किया गया है। चूंकि पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ मानदंड के रूप में भार पर विचार किया गया था, इसलिए निर्यातक से कहा गया था कि वह प्रत्येक कारोबार के लिए परिशिष्ट-2 में उल्लिखित पैकिंग सूची के अनुसार अददों की संख्या और निबल भार को शामिल करे। निर्यातक ने अपेक्षाओं का अनुपालन किया था और रिकार्ड पर संशोधित परिशिष्ट-2 को लिया गया था। उत्पादों के परिष्कृत भार की अनोन्य जांच करने के लिए नमूना उत्पादों के भार की भी जांच की गई थी।”

17. यह नोट किया जाता है कि पैकिंग सूची के भार के अनुसार मेसर्ज डालियान द्वारा (उसके ईवीआर के पैरा 18 के अनुसार) द्वारा सूचित पहला आरेखण भार 8,950 मी.टन था, जिसे संशोधित कर दिया गया था और 4.30% बढ़ा कर 9,335.13 मी.टन (ईवीआर के पैरा 10 के अनुसार) कर दिया गया था। अन्य निर्यातक के परिशिष्ट-2 के मामलों में भी जांच दल द्वारा इसी प्रकार के प्रेक्षण और परिणामी संशोधन किए गए थे।

18. **सार्वजनिक सुनवाई:** इस मामले में 18 महीनों की जांच अवधि के दौरान तीन सार्वजनिक सुनवाई की गई थीं, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है:-

- (क) इस मामले में पहली सुनवाई 07.09.2016 को की गई थी, जिसमें घरेलू उद्योग सहित 21 सहभागियों ने भाग लिया था।
- (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण दूसरी सुनवाई 16.12.2016 को हुई थी, जिसमें घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। चूंकि यह सुनवाई वर्तमान याचिका को बनाए रखने के लिए वर्तमान



याचिकादाता की अधिकारिता पर ही प्रतिबंधित थी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस सुनवाई के बाद अन्य सुनवाई करने का निर्णय लिया था।

- (ग) तीसरी सार्वजनिक सुनवाई 03.05.2017 को हुई थी जिसमें घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। घरेलू उद्योग द्वारा सुनवाई के बाद दिए गए दिनांक 11.05.2017 के लिखित निवेदनों के पैरा 20 में उल्लिखित विवरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है:

*“याचिकादाता द्वारा उत्पादित और चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जनवादी गणराज्य से आयातित वस्तुएं अनिवार्य उत्पादन गुण-क्षमताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। वास्तव में विशिष्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध वस्तुओं का अधिकतर उत्पाद किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही और चीन जनवादी गणराज्य से आयातित वस्तुएं समान वस्तु है। सभी कल-पुरजों का विनिर्माण, केवल ग्राहक के विनिर्देशनों के अनुसार किया जाता है।”*

19. यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी सुनवाई में अथवा इन सुनवाई पर लिखित निवेदनों में संबंधित “भार के मुद्दे” को नहीं उठाया है।

**20. घरेलू उद्योग के साथ बैठकें:** पूर्ववर्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी और घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि डॉ. नित्यानंदन देवराज और श्री ए. के. गुप्ता, टीपीएम परामर्शदाता के बीच दिनांक 22.11.2016 और 27.04.2017 को दो बैठकें हुई थीं। इनके अतिरिक्त जांच प्रक्रिया की 18 महीनों की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की जांच दल के साथ नियमित आधार पर अनेक वार्तालाप हुए थे। घरेलू उद्योग ने ऐसी किसी भी बैठक में/निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत अभ्यावेदनों में “भार संबंधी मुद्दे” को कभी नहीं उठाया था।

**21. समय-सीमा:** इस मामले की जांच 01.02.2016 को शुरू की गई थी और इस जांच को 31.01.2017 तक (सामान्यतया 12 महीनों की समय-सीमा के भीतर) पूरा कर लिया जाना था। तथापि, राजस्व विभाग द्वारा समय-सीमा को दो बार बढ़ाने की मांग की गई थी और समय-सीमा को क्रमशः 30.04.2017 और 30.07.2017 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार इस मामले की समय-सीमा को अधिकतम 18 महीनों तक बढ़ा दिया गया था। इस मामले में व्यापक समय-सीमा निम्नानुसार है:-

विवरण	समय-सीमा
जांच शुरू करने की तारीख	01 फरवरी, 2016
पहली सार्वजनिक सुनवाई	07 सितंबर, 2016
घरेलू सत्यापन के लिए दौरा	16 सितंबर, 2016
निर्यातक के सत्यापन के लिए पहला दौरा	17 अक्टूबर, 2016
प्रतिनिधियन के लिए घरेलू उद्योग की निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पहली बैठक	22 नवंबर, 2016
निर्यातक के सत्यापन के लिए दूसरा दौरा	28 नवंबर, 2016
दूसरी सार्वजनिक सुनवाई	16 दिसंबर, 2016
टीआरयू से मांगा गया पहला 3 महीनों को समय विस्तार और प्राप्ति की तारीख	23 दिसंबर, 2016
जांच शुरू करने के बाद 12 महीनों की समाप्ति	31 जनवरी, 2017
टीआरयू से मांगा गया दूसरा 3 महीनों को समय विस्तार और प्राप्ति की तारीख	06 अप्रैल, 2017
प्रतिनिधियन के लिए घरेलू उद्योग की निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ दूसरी बैठक	27 अप्रैल, 2017
टीआरयू से पहले 15 महीनों के समय विस्तार की समाप्ति की तारीख	30 अप्रैल, 2017
तीसरी सार्वजनिक सुनवाई	03 मई, 2017

प्रकटन विवरण जारी करने की तारीख	10 जुलाई, 2017
अंतिम जांच परिणाम की तारीख	28 जुलाई, 2017
टीआरयू से दूसरे 18 महीनों के समय विस्तार की समाप्ति की तारीख	30 जुलाई, 2017
अंतिम जांच परिणाम के लिए सीमा-शुल्क की अधिसूचना की तारीख	30 अगस्त, 2017
सेस्टेट के आदेश की तारीख	13 मार्च, 2018
निर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में सेस्टेट के आदेश प्राप्ति की तारीख	03 अप्रैल, 2018
सेस्टेट के आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक सुनवाई की तारीख	09 अप्रैल, 2018
सेस्टेट के आदेश के अनुसरण में अंतिम जांच परिणाम की अंतिम तारीख	29 मई, 2018

**22. प्रकटन विवरण और उन पर टिप्पणियां:** इस मामले में प्रकटन विवरण घरेलू उद्योग सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों को दिनांक 10.07.2017 को जारी किया गया था। इसके संबद्ध तथ्य (प्रकटन पश्चात) निम्नानुसार हैं:-

**(क) प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग की टिप्पणियां:** इस मामले की जांच 01.02.2016 को शुरू करने के बाद घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2017 (अर्थात् जांच शुरू करने के 18 महीनों में) में पहली बार प्रकटन पश्चात अपनी टिप्पणियों में प्राधिकारी के समक्ष “भार संबंधी मुद्दा” उठाया है। अंतिम जांच परिणाम के पैरा 129 का संबद्ध सार निम्नानुसार है:-

"(2) उचित तुलना को सुकर बनाने के लिए प्राधिकारी द्वारा पीसीएन बनाया गया है तथा उसे पुनःवर्गीकृत और सुव्यवस्थित किया गया है। याचिकादाता को ऐसे पुनःवर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। यह स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है कि याचिकादाता ने गैर तैयार किए गए रूप में उत्पाद को बेचा है, जबकि उत्पाद को तैयार रूप में आयात किया गया है।

(3) उत्पादों के भार की एक समान आधार पर विचार जाने की आवश्यकता है ताकि क्षति मार्जिन के लिए अलग-अलग वस्तु की तुलना की जा सके। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में तैयार लागतों को जोड़ना मात्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए सहयोजित भार को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

(5) प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए मार्जिन से अत्यधिक कम है।"

(ख) घरेलू उद्योग से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद निरीक्षण दल ने फाईल पर अंतिम जांच परिणाम से पहले इस मुद्दे पर विस्तार से परिचर्चा की थी।

(ग) इस मामले में जांच अधिकारी ने फाईल में पृष्ठ संख्या एन/44 से एन/45 पर इस मुद्दे की जांच की थी।

(घ) उसके बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले में लागत अधिकारी/प्रधान सलाहकार, लागत (पीएसी) से टिप्पणियां मंगाई थी। उनके द्वारा दी गई टिप्पणियां फाईल के पृष्ठ एन/45 से एन/46 में निहित हैं, जिनको निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जाता है:-

"(1) निर्यातक की पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी के तर्क की जांच की जा सकती है। सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पाद की कीमत प्रति अदद के आधार पर तय की जाती है क्योंकि परिष्कृत उत्पाद का वास्तविक भार निर्यात ब्रीजक को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक नहीं होता है। निर्यातक द्वारा परिशिष्ट-2 में प्रदत्त भार की पैकिंग सूची से अन्योन्य जांच की गई थी, जो कि निर्यातक द्वारा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष घोषित भार है और जिसे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कि सार्थक प्रतीत होता है तथा जिसे तब तक खारिज नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्राधिकारी के पास कुछ अन्य प्रतिकूल आधार नहीं हो।

- (2) यह भी बताया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कुछ घरेलू क्रेताओं को मशीनीकृत विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है। निर्यातकों द्वारा अपनी पैकिंग सूची में उल्लिखित समान वस्तु के भार की तुलना करने का प्रयास किया गया था। इसके परिणाम निम्नानुसार हैं:-

विचाराधीन उत्पाद के कल-पुरजे	घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा. प्रति बंद)	मेसर्ज जिआंगसू फों द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा. प्रति बंद)	मेसर्ज जिआंग चेन द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा. प्रति बंद)
हब	***	***	***
मेनफ्रेम	***	***	---
अंतर - हब		3.9%	1.85%
अंतर - मेनफ्रेम		0.26%	---

- (3) उपरोक्त से यह स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातकों की पैकिंग सूची में निर्दिष्ट भारत और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े कुल मिला कर समान हैं और निर्यातक द्वारा भार में परिवर्तन करने के दावे की जांच करना जिसका डीजीएडी के दल द्वारा विधिवत् सत्यापन, पैकिंग सूची और सीमा-शुल्क प्राधिकारी के समक्ष किए गए प्रकटन के साथ किया गया है और उनके द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, उचित नहीं होगा विशेषकर जब कि उसमें कोई व्यापक अंतर नहीं है।”
- (ड) उपरोक्त उप-पैरा (ग) और (घ) में आईओ और सीओ/पीएसी द्वारा दी गई टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 134 से 136 में इस मुद्दे की जांच की गई थी। हालांकि अंतिम जांच परिणाम के पैरा 136 में शब्दांश “घरेलू उद्योग की बीजक” को “घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े” पढ़ा जा सकता है। इस अंतिम जांच परिणाम से संबद्ध सार निम्नानुसार हैं:-

“134. प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से अत्यधिक कम होने के निवेदन के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई, 2017 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि सूचित भार, तैयार कास्टिंग्स अथवा तैयार कास्टिंग्स का अपरिष्कृत भार है। इसके अतिरिक्त यदि हितबद्ध पक्षकार ने तैयार कास्टिंग्स का भार सूचित किया है, तो वे तैयार कास्टिंग्स के अपरिष्कृत भार अर्थात् तैयार नहीं किए गए कास्टिंग्स के भार को सूचित करें।

135. प्राधिकारी द्वारा किए गए कार्यचालन और परिकलन की दोहरी जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यचालन सत्यापित आंकड़ों के समानरूप है, यह उपाय किया गया था।

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा पैकिंग सूची में भार दर्शाने के आधार और घरेलू उद्योग के बीजक कुल मिलाकर समान हैं। निर्यातकों द्वारा किए गए भारत में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उसे पैकिंग सूची से विधिवत् रूप से सत्यापित किया गया तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारी के समक्ष घोषित किया गया है।”

23. **सेस्टेट के आदेश के बाद कुछ और तुलनाएं:** सेस्टेट के दिनांक 13.03.2018 के आदेश के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा (अपनी याचिका में और दिनांक 09.04.2018 की सार्वजनिक सुनवाई के दौरान) सूचित भार की निर्यातकों द्वारा (निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों में) सूचित भार के साथ तुलना करने के लिए कुछ और प्रयास किए गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित भार के मुद्दे के बारे में उपरोक्त पैरा 22 (घ) (2) में तालिका में उल्लिखित पूर्ववर्ती पीएसी द्वारा किए गए परिकलनों की परिशुद्धता की पुनः दुबारा जांच संबंधित निर्यातक के मूल दस्तावेजों/ परिशिष्ट-2 से की गई थी।

(क) परिणामों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

विचाराधीन उत्पाद के कल-पुरजे	घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा./अदद)	मेसर्ज जिआंगसू फा द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा./अदद)	मेसर्ज जिओंग चैन द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा./अदद)	मेसर्ज झेझिआंग जिआली द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा./अदद)	मेसर्ज जिओगसू सिनोजित द्वारा दिया गया भार (कि.ग्रा./अदद)
हब (गेमिसा जी-97)		<b>3.90%</b>	<b>13.35%</b>	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @
<b>घरेलू उद्योग से अंतर</b>	***	***	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @
मेनफ्रेम (गेमिसा जी-9X)		अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @
<b>घरेलू उद्योग से अंतर</b>	***	<b>0.26%</b>	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @
हब (सुजिओन एस97)		अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	***	***
<b>घरेलू उद्योग से अंतर</b>	***	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	अतुलनीय # (- <b>6.10%</b> )	अतुलनीय # (- <b>12.76%</b> )
मेनफ्रेम (सुजिओन 1.5 एम डब्ल्यू)		अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	***	अनिर्यातित @
<b>घरेलू उद्योग से अंतर</b>	***	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @	<b>0.89%</b>	अनिर्यातित @
मेनफ्रेम (गेमिसा जी 114)\$		अनिर्यातित @	***	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @
<b>घरेलू उद्योग से अंतर</b>	***	अनिर्यातित @	अतुलनीय # <b>(-11.12%)</b>	अनिर्यातित @	अनिर्यातित @

^ भार को घरेलू उद्योग द्वारा अपने क्षति मार्जिन परिकलनों के लिए माना गया है (अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में तथा प्रकटन के समय तक सूचित भार)।

@ जांच अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात नहीं किया गया है और इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

# तुलनीय नहीं है क्योंकि निर्यातक द्वारा (अपनी पैकिंग सूची में) सूचित परिष्कृत भार उसी कल-पुरजे, समान मॉडल और समान ग्राहक के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचित अपरिष्कृत भार से अधिक है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अलग-अलग कल-पुरजे, अलग-अलग ग्राहक, प्रत्येक ग्राहक के अलग-अलग मॉडल और अलग-अलग क्षमता से रेखा-चित्र भिन्न हैं।

\$ इस मॉडल की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा अपनी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में की गई थी, जिसमें घरेलू उद्योग ने अपरिष्कृत और परिष्कृत भार में सकारात्मक अंतर दर्शाया है। जबकि उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समान कल-पुरजे, पीसीएन, ग्राहक, मॉडल और क्षमता के भार में अंतर नकारात्मक है (अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा यथा विचारित अपरिष्कृत/रेखण भार, निर्यातक द्वारा अपने परिशिष्ट-2 में सूचित परिष्कृत भारत से अधिक है)। तथ्य यही बना रहता है कि अपरिष्कृत भार परिष्कृत भार से अधिक है। इसलिए सम्पूर्ण गुण-विशेषताओं में कोई दो कॉस्टिंग्स तुलनीय नहीं हैं।

(ख) इसलिए दोहरी जांच करने और “भार में अंतर” होने के इस मुद्दे को सुनिश्चित करने के लिए समग्र आधार पर कुछ और अतिरिक्त तुलनाएं की गई थीं जो कि निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक	विचाराधीन उत्पाद में कल-पुरजे	विचाराधीन उत्पाद में कल-पुरजों के लिए संहिता	अपरिष्कृत*			परिष्कृत*			अंतर		तुलना पर टिप्पणियां (अंतर)
				अपरिष्कृत मात्रा	अपरिष्कृत मात्रा	अपरिष्कृत/कॉस्टिंग	परिष्कृत मात्रा	परिष्कृत मात्रा	परिष्कृत/मशीनीकृत	परिष्कृत और अपरिष्कृत के बीच अंतर	अंतर	
				कि.ग्रा.	%	कि.ग्रा./बदल	कि.ग्रा.	%	कि.ग्रा./बदल	कि.ग्रा./बदल	परिष्कृत%	
1	समस्त पीसीएन के लिए समस्त निर्यातकों के समस्त मॉडलों के लिए औसत	हव	क	***	4%	***	***	35%	***	-6,828	-73.18%	अतुलनीय
2		मेन फ्रेम	ख	***	1%	***	***	43%	***	-4,166	-33.21%	अतुलनीय
3		हव + मेन फ्रेम	क + ख	***	5%	***	***	78%	***	-6,470	-64.76%	अतुलनीय
4		अन्य	ओ	***	3%	***	***	14%	***	-521	-32.90%	अतुलनीय
5		समस्त पीयूसी	क+ख+ओ	***	8%	***	***	92%	***	-4,334	-117.63%	अतुलनीय
6		परिष्कृत हव (समग्र घरेलू उद्योग – समग्र समस्त निर्यातक) अंतिम जांच परिणाम में विचारित भार		***	5%	***	***	35%	***	-11,058	-216.77%	अतुलनीय
7		परिष्कृत मेन फ्रेम (समग्र घरेलू उद्योग – समग्र समस्त निर्यातक) अंतिम जांच परिणाम में विचारित भार		***	4%	***	***	43%	***	-11,594	-226.60%	अतुलनीय

\* क्रमांक 1 से 5 में उल्लिखित भार निर्यातकों के लिए है। जबकि क्रमांक 6 और 7 उल्लिखित अपरिष्कृत भार घरेलू उद्योग के लिए और परिष्कृत भार सभी निर्यातकों के लिए है।

(ग) इसलिए उपरोक्त पैरा के उप-पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा यथा विनिर्मित और निर्यातकों द्वारा भारत को यथा निर्यातित विचाराधीन उत्पाद इस कारणवश पूर्णतया तुलनीय हो सकते हैं कि निर्यातक द्वारा (अपनी पैकिंग सूची में) सूचित परिष्कृत भार, अनेक विशिष्ट पृथक तुलनाओं और समग्र तुलनाओं में घरेलू उद्योग द्वारा सूचित अपरिष्कृत भार से अधिक है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अलग-अलग कल-पुरजे, अलग-अलग ग्राहक, प्रत्येक ग्राहक के अलग-अलग मॉडल और अलग-अलग क्षमता के रेखा-चित्र भिन्न हैं। ऐसी अतुलनीय क्षमता, अधिकतर ऐसी तुलनाओं और यहां तक कि ऐसे छोटे मामले में भी पाई गई थी, जहां अंतर तुलनीय था, लेकिन वहां ऐसा पाया गया था कि ऐसे अंतर अधिकतर विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि नगण्य हैं। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद में से ऐसे किसी भी विशिष्ट मॉडल/उत्पाद मद को पाया जा सकता है, जिसकी आपूर्ति घरेलू उद्योग और सभी निर्यातकों द्वारा की गई थी।

(घ) ऐसा ही प्रेक्षण पृष्ठ एन/5 के पैरा में भी देखा गया है। प्रेक्षण के अनुसार कॉस्टिंग्स (अपरिष्कृत) विभिन्न आकारों और भार में होती हैं, जो कि विंडमिल्स के डिजाइन और मॉडल्स पर निर्भर करती हैं, जिनके लिए उन्हें कॉस्ट किया जाता है। इसलिए लागत और कीमतें, शामिल डिजाइन इंजीनियरिंग और सामग्री सम्मिश्रण के साथ-साथ कॉस्टिंग के समग्र भार पर निर्भर करती हैं। विंडमिल के प्रत्येक विनिर्माता का अपना विशिष्ट डिजाइन और रेखा-चित्र होता है, जिसके आधार पर निर्यातकों सहित कॉस्टिंग के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कॉस्टिंग और मशीनिंग (फिनिशिंग) की जाती है। इसलिए उत्पाद अत्यधिक डिजाइन पर निर्भर करता है और विंडमिल्स के मॉडल के अनुसार उसमें अंतर रहता है और इनकी

कीमतों की तुलना करने का एक मात्र आधार कुछ वृष्टियों से मार्जिन के साथ भार होता है (जो कि मानक मानदंड होता है, जिसका उल्लेख उपरोक्त पैरा 16 में निर्यातकों द्वारा भी किया गया है)।

24. इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग और भारत में किए गए निर्यातों दोनों के विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निम्नोक्त द्वारा बेचा गया विचाराधीन उत्पाद	अपरिष्कृत उत्पाद की बिक्री	परिष्कृत उत्पाद की बिक्री
घरेलू उद्योग	90%	10%
समस्त निर्यातकों का औसत (भारत को समस्त निर्यात)	8%	92%

25. यहां यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग कॉस्टिंग्स का परिष्करण नहीं करता है, जो कि घरेलू उद्योग की फैक्टरी के बाहर भारत में जॉब कामगारों द्वारा किया जाता है। इन जॉब कामगारों ने “घरेलू उद्योग” के भाग के रूप में जांच में भाग नहीं लिया है। घरेलू उद्योग द्वारा जॉब कामगारों/अंतर्गत ग्राहकों को बेचे गए अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स का परिष्कृत भार घरेलू उद्योग के स्थल पर सत्यापनीय नहीं है। इस तथ्य को घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम के पैरा 129 (2) में पहले नोट किया गया है, जो इस प्रकार से पठित है “याचिकादाता ने अपरिष्कृत रूप में उत्पाद को बेचा है, जबकि उत्पाद का आयात परिष्कृत रूप में किया गया”।

26. **निष्कर्ष:** उपरोक्त तर्कों और विश्लेषण के आलोक में सेस्टेट के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए संबंधित “भार के मुद्दे” की निम्नलिखित आधार पर नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता नहीं है:-

- (क) विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक ग्राहक अनुकूल उत्पाद है, जिसकी मुख्यतया अलग-अलग उत्पाद के साथ उसकी गुण-विशेषताओं के साथ तुलना नहीं की जा सकती है और तुलना की भी जा सकती है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा यथा आपूर्ति किए गए, निर्यातकों द्वारा यथा आपूर्ति किए गए उत्पाद और यहां तक कि निर्यातकों के भीतर विभिन्न निर्यातकों द्वारा यथा आपूर्ति किए गए उत्पाद भिन्न हैं और अधिकतर मामलों में वे एक दूसरे से तुलनीय नहीं हैं। इनके रेखा-चित्र के अलग-अलग भाग, अलग-अलग ग्राहक में अंतर रहता है, प्रत्येक ग्राहक के अलग-अलग मॉडल और अलग-अलग क्षमता में अंतर रहता है। यहां तक कि इनके रेखा-चित्र होने पर भी रेखा-चित्र के अनुसार इनके सही भार का पता लगाना कठिन होता है और इनकी सहनीय सीमा 8% से 10% तक के बीच रहती है, जो कि उद्योग में एक मानक मानदंड है।
- (ख) जांच समयबद्ध थी, जिसकी 18 महीनों की समय-सीमा (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता था) पास आ रही थी और घरेलू उद्योग ने अंतिम 18वें महीने तक इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया था। जांच शुरू करने के 18वें महीने में प्रकटन-विवरण पश्चात टिप्पणियों में और साथ ही सेस्टेट के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया था और फाईल पर इसकी व्यापक जांच की गई थी।
- (ग) जैसा कि उपरोक्त पैरा 17 में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2017 के अंतिम जांच परिणाम में निर्यातक द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली के मूल उत्तर में सूचित किए गए भार को बढ़ा कर उचित संशोधन किए गए थे।
- (घ) भारत में विचाराधीन उत्पाद के अधिकतर निर्यात परिष्कृत कॉस्टिंग्स (92%) के हैं, जबकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान केवल 10% परिष्कृत कॉस्टिंग्स को बेचा है (वह भी जॉब कामगारों से, जो कि घरेलू उद्योग का भाग नहीं बनते हैं)। घरेलू उद्योग की इन परिष्कृत कॉस्टिंग्स के लिए यह केवल अपरिष्कृत कॉस्टिंग्स बनाता है और उन्हें अन्य पक्षकार/संविदाकार को भेजता है तथा उन्हें आगे ग्राहकों को बेचता है।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Directorate General of Trade Remedies**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2018

**Sub: Re-examination of the Final Finding dated 28.07.2017 issued by the Designated Authority, pursuant to the CESTAT Final Order No. AD/A/50938-50942/2018-CU[DB] dated 13.03.2018 in the matter of Anti-dumping investigation concerning imports of “Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators” originating in or exported from China PR.**

**A. Background of the Case**

No.14/28/2013-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, M/s Larsen & Toubro Limited had filed Anti-dumping petition and the Authority had issued **Final Finding** dated 28<sup>th</sup> July, 2017 (hereinafter also referred as ‘FF’) recommending imposition of AD Duty on imports of “Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators” (hereinafter also referred as ‘PUC’ or ‘the product’) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred as ‘subject country’). The investigation concerning the subject matter captioned above was initiated on 01<sup>st</sup> February, 2016. The case was **initiated** considering 18 months (from 01.04.2014 to 30.09.2015) as Period of Investigation (**POI**). Thus, the POI was 18 months and the Injury period was 2011-12, 2012-13, 2013-14 and POI. After the issue of the FF, a **corrigendum** to the abovesaid FF dated 11<sup>th</sup> August, 2017 was also issued for bringing out the clarification in the duty table in para 140 of the FF. In pursuance of the above mentioned Final Findings including corrigendum, Department of Revenue through **Customs Notification** No. 42/2017-Customs (ADD) dated 30<sup>th</sup> August, 2017 imposed antidumping duty.

2. **CESTAT Order:** Thereafter, three appeals were filed by the exporters from China PR (M/s Jiangsu FAW Foundry Co. Ltd, M/s Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Limited and M/s Dalian Huarui Special Transmission Equipment Co. Limited), one by the importer from India (M/s Inox Wind Limited) and another one appeal by the Domestic Industry (M/s Bradken India Pvt. Ltd., DI in terms of para 23 to 33 of the FF as upheld by the Hon’ble CESTAT in para 14 of its abovesaid judgement). The Hon’ble CESTAT issued Final Order No. AD/A/50938-50942/2018-CU[DB] dated 13.03.2018 in the said investigation case.
3. The appellant three exporters and one importer filed appeals mainly agitating the scope of PUC and DI as well as contesting the imposition of AD Duty alleging no injury to the DI. The Hon’ble CESTAT, in para 15 of its judgement, upheld that there was no merit in the appeals filed by the three China exporters and one Indian importer against the levy of anti-dumping duty on the subject goods and accordingly these appeals were dismissed by the Hon’ble CESTAT.
4. The Domestic Industry filed appeal against fixation of lesser AD duty on the imports of PUC. DI (as noted in para 9 and 11 of the judgement) submitted that the exporters are from China and it is a recognized fact that the China PR is a non-market economy. Referring to Annexure-I para 7 of the AD rules, DI submitted that having treated China as non-market economy, the normal value has been computed based on the cost of raw castings of the DI. The exporters have exported finished castings to India. Dumping margin has been computed by taking computed price (based on cost of DI) of raw casting and the export price has been taken for finished castings. This is in clear violation of para 6 (i) of Annexure-I to AD Rules. Accordingly, the quantum of AD duty imposed is much lesser than what ought to have been correctly determined by D.A.
5. The Domestic Industry further elaborated the issue in the court and contended that the Non-Injurious Price (NIP) and the Constructed Normal Value/ CNV (broadly based on NIP) have been calculated by dividing the total cost by the Raw weight quantity (as supplied by the Domestic Industry in its petition. While the Landed Value (LV)

and Net Export Price (NEP) have been calculated by dividing the Export value by the Finished weight quantity (which usually is lower than raw weight). Hence, according to DI, the Injury Margin (NIP less Landed Value) and the Dumping Margin (Constructed Normal Value less Net Export Price) are calculated to be a lesser amount resulting into lower duty than otherwise. The DI has requested to calculate all the four factors (NIP, CNV, LV and NEP) by taking only one weight into account (either the raw weight or finished weight) so that a fair comparison can be made to determine the Dumping Margin and Injury Margin.

6. Based on the appeal filed by the DI, the Hon'ble CESTAT has remanded the case to the Designated Authority, only on the limited 'weight issue' as raised by the domestic industry in para 4 above, with the direction to examine, afresh, the factual claims made by the DI on this aspect and complete the same within a period of eight weeks from the date of receipt of the order. The relevant extracts as given in Para 16 and para 17 of the CESTAT Order are given below:

16. *"Considering the appeal by the DI, we note the only grievance of the appellant is that the DA has committed a serious error in quantifying the dumping margin and injury margin. This is because the DA adopted the same weight comparison for normal value/non-injurious price and export price/landed price of imports. The exported goods were mainly machined castings. Comparison made is with rough castings made by DI. Since, the final finding did not come out with clear analysis and specific finding on this claim of the appellant/DI we have specifically directed the learned Counsel for the DA to file his comments with supporting data. However, no such written comments were filed by the DA, we are constrained to go by the facts and analysis to the extent available in the final finding dated 28/07/2017. As already noted this crucial aspect regarding the export items being substantially being finished castings and the data comparison details for DI is for rough castings, we note that this aspect requires re-examination by the DA for clear and informed decision on the correctness of the data analysis by the DA for fixing the quantum of AD duty. Since, the appellant DI had forcefully contended that person is a factual error in the comparison and the weight difference between rough and finished casting will be in the range of 3% to 12% depending on the casting type, we note that a clear and specific finding on this aspect should have been recorded by the DA. The same is not forthcoming in the final finding. In terms of Para 6 (i) of Annexure II of AD rules while arriving at margin of dumping the DA shall make a fair comparison between export price and the normal value. Due allowance shall be made in each case on its merits for difference which affect price comparability. In the present case, the weight and physical characteristics of PUC are crucial for such comparison. Accordingly, while upholding the imposition of AD duty as per the final finding, we direct the DA to examine, afresh, the factual claims made by the DI on this aspect. After due examination, the DA may issue his finding on this aspect. In case based on the factual input, the margin of dumping and thereby the injury parameters vary then the AD duty shall accordingly be fixed by the DA. The said exercises may be completed by the DA within 8 weeks of receipt of this order. As already noted the AD duty imposed and being collected in terms of the final finding and the customs notification shall continue in the meantime as the imposition of AD duty has been upheld on merit.*

17. *In view of the above discussion and analysis, the appeals filed by Indian importer and Chinese Exporters were dismissed. The appeal by DI is disposed of with the above direction."*

7. Thus, the Hon'ble CESTAT upheld whole of the abovesaid Final Finding but for the limited issue raised by the DI as mentioned in para 4 above (hereinafter also referred as '**weight issue**') to be reconsidered by the DA.

## B. Procedure

8. In compliance with the above direction of Hon'ble CESTAT, the Authority conducted a Public Hearing on 09.04.2018 which was attended by 10 participants including representatives of domestic industry, the exporters and other interested parties. The parties attending the Public Hearing were requested to make their submissions in writing and rejoinders, if any. In response to the Public Hearing, the following parties made their submissions, either in the Written Submissions or in the Rejoinders:
  - a. Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.
  - b. Domestic Industry
  - c. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited



### C. Submission of Domestic Industry

9. The legal counsels representing the Domestic Industry have given written submissions as under:

- a. CESTAT admitted that weight and physical characteristics of PUC are crucial for fair comparison, and remanded the matter to the Designated Authority for re-examination and limited the scope of the present remand proceedings to the claims of domestic industry on the weights adopted for the domestic and imported castings in order to determine normal value, export price, dumping margin, landed price, NIP, and injury margin.
- b. **The domestic industry has supplied castings in semi-finished form from its factory to one of its vendors, who carries out the finishing operations.** The domestic industry pays charges for such finishing work. Since the invoice is raised at the time of supply to such vendor, the weight of such casting reported by the domestic industry during the investigation was the weight of the semi-finished castings, as this is the form in which it has shipped the material from its factory.
- c. **The exporters supplied all castings in finished form and also reported weight of finished castings only.** The finishing of the product leads to a **significant reduction** in the weight thereof, in the **range upto 20%**. Thus, for the same product, the weight reported by the domestic industry, being unfinished weight, is more than the finished weight reported by the importers.
- d. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited at the time of hearing clearly stated that they have reported weights of finished castings. All the exporters barring Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd have reported weights of finished castings, as they have shipped weights as mentioned in the packing list which contains weights of the castings shipped by these parties.
- e. The domestic industry never requested the Authority to change the weight. The domestic industry merely asked the Designated Authority to make adjustments to either the weight of the exporters "finished castings" or the domestic industry's "raw castings" in order to ensure fair comparison as prescribed under the Rules.
- f. The invoices of domestic industry do not have weight of the castings. Invoices contain only number of castings. Such being the case, final findings contains severe factual error.
- g. There is the difference in raw as cast and finished casting weights **ranging 5% to 12%**. With such a significant difference in the weight of the two products, if NIP of one type is compared with landed price of other type, it would naturally lead to highly distorted dumping margin and injury margin.
- h. All parties to the present investigations are very well aware that there is a significant difference in cost and price of "as cast" and "finished" castings. The difference is to such an extent that it led to different PCN for this reason.
- i. 91% of sales by the petitioner were of "as cast" castings. Thus, the production information given by the petitioner substantially pertained to "as cast" castings. Domestic industry has reported the sales and production in respect of raw casting regardless of whether the castings were sold as raw casting or finished castings.
- j. Comparison of domestic industry's raw casting NIP with imported finished casting landed price has led to proportionately understated injury margin. Similar is the impact on dumping margin. Since the export price has been adopted on the basis of imported castings and the weights reported by the exporters, the export price is in respect of finished castings weights. Thus, there were significant differences in the physical characteristics of the domestic and imported product, which require an appropriate treatment. The authority is required to either make comparison by considering comparable product types, or, in the alternative, make an appropriate adjustment for this difference.
- k. The exporters have not clarified what form of castings has been exported by them. Even when the Authority had specifically asked the same during the public hearing, the exporter only responded that source of weight reported by them and not the form of product exported by them.
- l. The scope of the product under consideration is not the subject matter of the present investigation and the Authority cannot go beyond the limited scope of the remand proceedings as has been fixed by CESTAT. It is also relevant to point out that the form of casting is one of the parameters of PCN and therefore there can be no exclusion of a product which is either as cast or as machined.

- m. There is no question of domestic industry deliberately not providing complete information. The domestic industry had provided information based on castings shipped by them.

**D. Submissions by Other Interested Parties**

10. Following are the post-hearing submissions given by the other interested parties:

- (i) The legal counsels representing M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd have given written submissions as under:
- a. It was noticed by the Authority that two parts namely Hub and Main Frame constituted majority of the volume and rest of the parts which were large in number but having negligible contribution in volume. Therefore, in order to facilitate a fair comparison, PCN devised during initiation of investigation were regrouped in consultation with all the interested parties including domestic industry.
  - b. CESTAT stated that the crucial aspect regarding the export items substantially being finished castings and data comparison details for Domestic Industry is for rough castings, requires re-examination by the Designated Authority for clear and informed decision on the correctness of the data analysis by the Designated Authority for fixing the quantum of AD Duty.
  - c. The Verification Officers examined the invoices, commercial invoices, packing list, drawings, weight etc. They physically weighed the product under consideration and instantly took the pictures of the weighing machine to record the weights. The Verification Officers took all necessary precautions to verify the actual weights of the subject goods exported by Zhejiang Jiali.
  - d. The exporter further claimed that no additional information shall be called for and taken into consideration by the Authority while finalizing the Findings based on order of CESTAT. The Domestic Industry has deliberately not provided the complete information with the Authority during the investigation proceedings. Since the applicants have not made any claim of finished products at the time of verification or investigation, they cannot bring such claims at this stage and the findings of the authority with the available facts shall be final.
  - e. The Domestic Industry shall be considered as non-cooperative and its claims shall be rejected by the Authority simultaneously. The determinations made by the Authority are in accordance with the Rules and final. The Authority shall not consider any additional information provided by the Domestic Industry.
  - f. The exporter also submitted that machined products shall not be considered as a part of product under consideration as Domestic Industry produces only rough castings and machining is done by the other party/contractor and further sold to the consumers. Thus, no further information shall be taken into consideration by the Authority and conclude its findings as per facts available with the Authority.
- (ii) The legal counsels representing Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited have submitted in its rejoinder as under:
- a. It is submitted that at the time of hearing although there was an error on part of representatives of the Exporters while mentioning that the said Exporter group exported only finished castings, it can be seen that while Yeong Chen Taiwan exported both raw and finished castings and Yeong Shang Ningo exported only finished castings. Further, it is reiterated that all data provided to the DA at the time of investigations were based only on raw weights of finished castings which has been verified at the time of onsite verification by the designated investigation team. Furthermore, on query raised by the jurisdictional Deputy Director, DGAD vide its email dated 17.07.2017, the exporter confirmed that by email dated 19.07.2017 that the exporter reported raw weights of finished castings in its Appendix-2. Hence, allegation of the Domestic Industry that all exporters have calculated export price on the basis of weight of finished castings does not hold ground.

**E. Re-examination by the Authority pursuant to CESTAT Order dated 13.03.2018**

11. The Authority has examined the above comments to the Oral Hearing in the light of its Final Finding dated 28.07.2017 including the concerned corrigendum dated 11.08.2017 and the Hon'ble CESTAT judgement dated 13.03.2018 as under:

12. **Domestic Industry (DI):** The petition had been originally filed by M/s Larsen & Toubro Limited (hereinafter referred as “L&T”). However, M/s Bradken India Pvt. Ltd. (hereinafter referred as “Bradken”) had taken over the manufacturing facility of the subject goods at Coimbatore plant from L&T on 3<sup>rd</sup> March, 2016 (after the date of initiation and the POI) as ongoing concern. As the takeover took place after the initiation of this investigation, Bradken impleaded to be the co-petitioner in the present investigation which was duly considered by the then Designated Authority vide para 4 of the notes at page 22/N and vide para 9 of the notes at page 37/N. Therefore, hereinafter L&T and Bradken together/ independently has been referred as ‘Domestic Industry/ DI’ or ‘the petitioner’. This conclusion is in consonance with para 23 to 33 of the FF as upheld by the Hon’ble CESTAT in para 14 of its abovesaid judgement.
13. **Products under Consideration (PUC):** The products under consideration in the present petition is “Castings for wind operated electricity generators also known as castings for windmills or wind turbines, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators”.
- Products Description:** A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc. These castings are used in the wind turbines along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity. All such castings, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/ component, meant for wind-operated electricity generators are covered in the present investigation.
14. **Domestic Verification:** L&T had manufacturing facilities of PUC located at Coimbatore, Tamil Nadu and Kansbahal, Odisha. Kansbahal unit had suspended its production in 2012-13. Therefore, costing data relating to only Coimbatore plant has been considered for NIP determination. All the records and data relating to PUC of L&T (now owned by Bradken) are available at Casting Manufacturing Unit, Coimbatore. Therefore, the domestic verification was conducted by the designated investigation team at their Plant at Coimbatore, Tamil Nadu from 16.09.2016 to 17.09.2016. **It is notable here that the Domestic Industry (DI) did not raise the concerned ‘weight issue’ at the time of domestic verification before the concerned investigation team.**
15. **Exporter Verification:** There were two verification visits undertaken to investigate this case which are mentioned as under:
- (a) **First Exporters’ Visit:** The data submitted by the following three producers/ exporters (represented by consultant M/s World Trade Consultants and Advocates) of the subject goods in China, as filed in their questionnaire responses, was verified by the designated investigation team from 17.10.2016 to 21.10.2016 in the premises of the respective entity located in three different provinces of China:
- (i) M/s Jiangsu Faw Founder Co. Ltd. (producer/Exporter),
  - (ii) M/s Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd. (Producer/Exporter) and
  - (iii) M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. (Producer/Exporter).
- (b) **Second Exporters’ Visit:** The second round of verification of data of following producers/ exporters (consisting of fifteen entities) of the subject goods in China, as filed in their questionnaire responses, was completed during the period from 28.11.2016 to 03.12.2016 by the aforesaid investigation team in the premises of the respective companies located in China:
- I. The Yeong Guan Group of Companies, China PR (represented by consultant M/s Ashok Dhingra Associates) consisting of:
- (iv) M/s Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited (Producer),
  - (v) M/s Dongguam Yeong Guan Mould Factory Co. Ltd. (Producer),
  - (vi) M/s Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co. Ltd. (Producer),
  - (vii) M/s Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. Ltd. (Producer),

- (viii) M/s Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. (Producer and Exporter),
- (ix) M/s Yeong Chen Asia Pacific Co. Ltd. (Producer and Exporter),
- II. The Jiangsu Sinojit Group of Companies, China PR (represented by consultant M/s. Lakshmikumaran & Sridharan) consisting of:
- (x) M/s Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co. Ltd. (Producer and Exporter),
- (xi) M/s Techtone HK Ltd. (Exporter),
- (xii) M/s Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd. (Producer),
- (xiii) M/s Jiangyin Henghua Machinery Co. Ltd. (Producer),
- (xiv) M/s Jiangyin Qixing Technology Co. Ltd. (Producer),
- (xv) M/s Jiangyin Changling New Energy Co. Ltd. (Producer),
- (xvi) M/s Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd. (Producer and Exporter) and
- (xvii) M/s KOIZUMI Machinery Co. Ltd. (Producer).
- III. One participant of the companies as referred in para 15(a) above (represented by consultant M/s World Trade Consultants and Advocates) consisting of:
- (xviii) M/s TECHTONE (HK) Energy Technology Co. Ltd. (Exporter).
16. Here following was noted by the investigation team in para 9 under 'verification of Appendix-2' of the Exporter Verification Report (EVR) issued for M/s Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd. (Producer/Exporter):
- "It was noticed that exporter has indicated the weight of the products in appendix-2 as per the approved drawings of the customers whereas the packing list indicated marginally different weights. It was clarified by the technical team of the company that in casting operation, it is difficult to achieve exact weight as per the drawing and a tolerance limit of 8% to 10% is a standard norm. However, since the customer pays on per piece basis drawing weight has been indicated in the appendix-2. Since, for the purpose of Dumping and Injury Margin determinations, weight has been considered as the criteria the exporter was asked to incorporate the number of pieces and net weight as per the packing list in the appendix-2 against each transaction. The exporter complied with the requirements and revised appendix-2 was taken on record. Sample products were also weighed to cross check the finished weight of the products."*
17. It is noted here that the earlier total drawing weight reported by M/s Dalian (para 8 of its EVR) was **8,950 MT** which was revised and **increased by 4.30% to 9,335.13 MT** (para 10 of the EVR) as per the packing list weight. The similar observation and **consequent corrections were carried out by the investigating team in the cases of appendix-2 of other exporters also.**
18. **Public Hearing:** Three Public Hearings were held during the investigation period of 18 months in this case which are mentioned as under:
- (a) The first Public Hearing in this case was held on 07.09.2016 which was attended by 21 participants including the domestic industry.
- (b) Second Public Hearing was held on 16.12.2016 due to change in the Designated Authority which was attended by the interested parties including the domestic industry. Since this hearing remained restricted only to the locus of the present petitioner to maintain the present petition. The DA decided to hold another hearing thereafter.
- (c) Third Public Hearing was held on 03.05.2017 which was attended by the interested parties including the domestic industry. Para 20 of the post-hearing written submissions dated 11.05.2017 as given by the DI is reproduced as below:
- "There are no known differences in subject goods produced by the petitioner and exported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are*

*comparable to the imported goods from China PR in terms of essential product properties. In fact, the subject goods are largely produced to meet specific customer requirements. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from China PR. All parts are made only as per customer specifications."*

19. It is notable here that **none of the interested parties including the Domestic Industry raised the concerned 'weight issue' in either any of these hearings or in its written submissions to these hearings.**
20. **Meetings with DI:** Two meetings were held between the then Designated Authority and the Domestic Industry represented by Dr.NithyanandanDevaraaj and Mr. A.K. Gupta, TPM Consultants on 22.11.2016 and 27.04.2017. Apart from this, the DI had numerous conversations on regular basis with the investigation team during the 18 months of investigation process. **The Domestic Industry did not raise the concerned 'weight issue' in any of these meetings with/ representations to the DA.**
21. **Timelines:** This case was initiated on 01.02.2016 and the investigation was to be concluded by 31.01.2017 (12 months' normal timeline). However, two extensions of 3 months each were sought from the Department of Revenue wherein the timeline was revised to 30.04.2017 and 30.07.2017 respectively. Thus, **the case had reached the maximum allowed timeline of 18 months.** The broad timelines in this case are as under:

Particulars	Timelines
Date of Initiation	01-Feb-16
First Public Hearing	07-Sep-16
Visit for Domestic Verification	<b>16-Sep-16</b>
First Visit for Exporter Verification	<b>17-Oct-16</b>
First meeting of DI with DA for representation	22-Nov-16
Second Visit for Exporter Verification	<b>28-Nov-16</b>
Second Public Hearing	16-Dec-16
First Extension of 3 months from TRU sought and received on	23-Dec-16
Expiry of 12 months from Initiation	31-Jan-17
Second Extension of 3 months from TRU sought and received on	06-Apr-17
Second meeting of DI with DA for representation	27-Apr-17
Expiry date of 15 months after First Extension from TRU	30-Apr-17
Third Public Hearing	03-May-17
Date of Disclosure Statement	10-Jul-17
Date of Final Finding	28-Jul-17
Expiry date of 18 months after Second Extension from TRU	30-Jul-17
Date of Customs Notification for the Final Finding	30-Aug-17
Date of CESTAT Order	13-Mar-18
Date of receipt of CESTAT Order in the office of DA	03-Apr-18
Fourth Public Hearing pursuant to CESTAT Order	09-Apr-18
Last Date of Final Finding pursuant to CESTAT Order	29-May-18

22. **Disclosure Statement and comments thereon:** The disclosure statement was issued to all the interested parties including the DI on 10.07.2017 in the said case. The relevant facts (post-disclosure) are as under:

- (a) **Post-disclosure comments by the DI:** For the first time since initiation of this case on 01.02.2016, the DI brought before the Authority the concerned 'weight issue' in its post-disclosure comments in July-2017 (i.e. in the 18<sup>th</sup> month of the initiation). The relevant extracts from para 129 of the FF are as under:

ii. To facilitate a fair comparison, the PCN devised and regrouped and rationalized by the Authority. Petitioner does not have reservation on such grouping, it needs to be recognized that the petitioner has sold the product in unfinished form whereas product has been imported in finished form.

iii. The weight of the products is required to be considered on one uniform basis in order to undertake apple-to-apple comparison for the purpose of injury margin. Mere addition of finished costs to the NIP of the domestic industry is insufficient for the purpose. The weight associated are also required to be taken into account.

v. Dumping margin and injury margin determined by the Authority in disclosure statement is significantly lower than what has been determined by domestic industry.

- (b) After the post-disclosure comments received from the DI, the investigation team discussed this issue at length before the Final Finding on the file.

- (c) The Investigating Officer in the case examined the issue vide page N/44 to N/45 in the file.

- (d) Thereafter the DA sought comments from the Costing Officer/ Principal Adviser Cost (PAC) in the case. The comments given by the later on the file vide page N/45 to N/46 are reproduced as under:

(i) The contention of DI can be examine only after studying the exporters practices. First of all, it is clarified that product is priced on per piece basis as actual weight of the finished product is not relevant for raising export invoice. The weight provided in the appendix 2 by exporter was cross checked from the packing list, is the weight declared by the exporter is the custom authorities and accepted by them seems to have meaning and can not be rejected until the Authority has some other contrary ground.

(ii) It is also to state that DI has supplied machined PUC to a handful domestic buyers. An attempt was made to compare weight of the same article quoted by exporters in their packing list. The result was as under:-

<u>Parts of the PUC</u>	<u>Weight given by Domestic Industry</u> (in Kg per piece)	<u>Weight given by Jiangsu Faw</u> (in Kg per piece)	<u>Weight given by Yeong Chen</u> (in Kg per piece)
Hub	***	***	***
Mainframe	***	***	-
Variance – Hub		3.9%	1.85%
Variance - Mainframe		0.26%	-

(iii) From the above, it is evident that the basis of indicating weight in the packing list of exporters and data given by DI is **by and large the same** and changing the weight claimed by exporter, duly verified by the DGAD team from the packing list, declaration made before custom authority and accepted by them will not be appropriate especially when there is **no wide variance**.

- (e) Consequent to the comments by IO and CO/PAC as given in sub-para (c) and (d) above, this issue was **examined by the DA in the Final Finding** dated 28.07.2017 vide para 134 to 136 of the FF. Although, in para 136 of the FF, the words 'invoice of DI' may be read as 'Data given by the DI'. The relevant extracts from the FF are as under:

134. With regard to the submission concerning dumping margin and injury margin determined by the Authority in disclosure statement is significantly lower than what has been determined by domestic industry, Authority communicated to the interested parties vide mail dated 17th July, 2017 to clarify that the weights reported by the interested parties are are finished castings or raw weight of finished castings. Further, in case the interested party has reported the finished castings weight, provide the raw weight of the finished castings i.e. the weight of the unfinished castings.

135. This measure was taken to doubly check the workings and calculations made by Authority and to assure that the workings are in sync with verified data.

136. The Authority notes that the basis of indicating weight in the packing list by exporters and invoice of DI is **by and large the same**. Changing the weight claimed by exporters will not be appropriate as the same is duly verified from the packing list and the declaration made before Custom Authority.

23. **Few more comparisons after the CESTAT order:** Pursuant to the CESTAT order dated 13.03.2018, few more attempts were made to compare the weights reported by the DI (in its petition and during the Public Hearing dated 09.04.2018) with the weights reported by the exporters (in the data given by the exporters). In addition, the correctness of the calculations carried out by the then PAC as referred in the table in para 22(d)(ii) above regarding the concerned 'weight issue' was again re-checked from the base documents/ Appendix-2 of the respective exporter.

a) The results are detailed as under:

<u>Parts of the PUC</u>	<u>Weight given by the DI<sup>^</sup></u> <u>(in Kg/piece)</u>	<u>Weight given by Jiangsu Faw</u> <u>(in Kg/piece)</u>	<u>Weight given by Yeong Chen</u> <u>(in Kg/piece)</u>	<u>Weight given by Zhejiang Jiali</u> <u>(in Kg/piece)</u>	<u>Weight given by Jiangsu Sinojit</u> <u>(in Kg/piece)</u>
Hub (Gamesa G-97)	***	***	***	Not exported@	Not exported@
<b>Variance from DI</b>		<b>3.90%</b>	<b>13.35%</b>	<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>
Mainframe (Gamesa G9X)	***	***	Not exported@	Not exported@	Not exported@
<b>Variance from DI</b>		<b>0.26%</b>	<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>
Hub (Suzlon S97)	***	Not exported@	Not exported@	***	***
<b>Variance from DI</b>		<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>	<b>Uncomarable#</b> <b>(-6.10%)</b>	<b>Uncomarable#</b> <b>(-12.76%)</b>
Mainframe (Suzlon 1.5MW)	***	Not exported@	Not exported@	***	Not exported@
<b>Variance from DI</b>		<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>	<b>0.89%</b>	<b>Not exported@</b>
Mainframe (Gamesa G114)\$	***	Not exported@	***	Not exported@	Not exported@
<b>Variance from DI</b>		<b>Not exported@</b>	<b>Uncomarable#</b> <b>(-11.12%)</b>	<b>Not exported@</b>	<b>Not exported@</b>

<sup>^</sup> Weights have been considered as taken by the DI for its Injury Margin calculations (i.e. raw weights as reported by the DI in its petition and till the time of disclosure).

@ Not Exported to India by the respective Exporter during the POI and therefore, can't be compared.

# Not comparable as the finished weight reported by the exporter (in its packing list) is more than the raw weight reported by the DI for the same part, same model and same customer. This may be so because the drawings differ from part-to-part, customer-to-customer, within each customer model-to-model and capacity-to-capacity.

\$ This model was compared by the DI in its post disclosure comments in which the DI shown a positive difference between the raw and finished weights. While it can be seen from the above table that the weight difference is negative (i.e. raw/drawing weight as considered by the DI is more than the finished weight reported by the Exporter in its Appendix-2) for the same Part, PCN, Customer, Model and Capacity. While the fact remains that raw weight is higher than the finished weight. Therefore, no two castings are comparable in absolute characteristics.

- b) So as to doubly check and ensure about this 'difference in weights' issue, few more additional comparisons were carried out on overall basis as below:

S. No.	Producer/ Exporter	part in the PUC	Code for the part in the PUC	RAW*			FINISHED*			DIFFERENCE		Comparison Remarks (Variance)
				Qty. Raw	Qty. Raw	Raw/ Casting	Qty. Finished	Qty. Finished	Finished/ Machined	Difference b/w Raw and Finished	Difference	
				Kg	as %	Kg/pc	Kg	as %	Kg/pc	Kg/pc	as % of Raw	
1	Average of All Exporters for all their models together for all PCNs	Hub	A	***	4%	***	***	35%	***	-6,828	-73.18%	Uncomparable
2		Mainframe	B	***	1%	***	***	43%	***	-4,166	-33.21%	Uncomparable
3		Hub + Mainframe	A+B	***	5%	***	***	78%	***	-6,470	-64.76%	Uncomparable
4		Others	O	***	3%	***	***	14%	***	-521	-32.90%	Uncomparable
5		all PUC	A+B+O	***	8%	***	***	92%	***	-4,334	-117.63%	Uncomparable
6		Finished Hub (Overall DI - Overall all exporters) weight considered in FF		***	5%	***	***	35%	***	-11,058	-216.77%	Uncomparable
7		Finished Mainframe (Overall DI - Overall all exporters) weight considered in FF		***	4%	***	***	43%	***	-11,594	-226.60%	Uncomparable

\*For S.No. 1 to 5, the weights are of exporters. While for S.No. 6 & 7, raw weights are overall DI weights and finished weights are overall exporters' weights.

- c) Hence, it is clear from the in-depth analysis carried out in sub-para (a) and (b) of this para above that the PUC as manufactured by the DI and as exported to India by the exporters may not be fully comparable because the finished weight reported by the exporter (in its packing list) is more than the raw weight reported by the DI in many individual comparisons and in all overall comparisons. This may be so because the drawings differ from part-to-part, customer-to-customer, within each customer model-to-model and capacity-to-capacity. This uncomparability was found in most of such comparisons and even in minor cases, where difference was comparable, **it was found that the differences were mostly not significant, rather negligible.** Moreover, no specific model/ product item among the PUC could be found which was supplied both by the DI and all the exporters.
- d) The similar observation has been seen in para 6 of page N/5. As per this observation, the castings (raw) are in various sizes and weight depending on the design and models of the windmills for which they are cast. The cost and prices are, therefore, dependent upon the design engineering and material composition involved as well as the overall weight of the casting. Every manufacturer of windmill has his unique design and drawings based on which the casting and machining (finishing) is done by the casting suppliers, including the exporters. Therefore, **the product is highly design dependant and varies with the model of the windmills and only basis to compare the prices is the weight with certain degree of error margins(which is the standard norms as also stated by the exporters in para 16 above).**

24. Moreover, the Sale profile of the PUC of both DI and exports to India has been seen which is as under:

PUC Sold by	Sale of Raw	Sale of Finished
DI	90%	10%
Average of all Exporters together (All Exports to India)	8%	92%

25. It is also noted here that the DI does not carry out the finishing of the castings, which is carried out by the job workers in India outside the factory of DI. These job workers have not participated in the investigation as part of



the 'Domestic Industry'. Therefore, the finished weights of the raw castings sold by the DI to job workers/ end customers are not verifiable at the site of the DI. This fact has been noted earlier in Para 129(ii) of the FF under the post-disclosure comments by the Domestic Industry which reads as "the petitioner has sold the product in unfinished form whereas product has been imported in finished form".

26. **Conclusion:** In light of the arguments and analysis as above, the concerned 'weight issue' raised by the DI in CESTAT doesn't warrant fresh investigation on the following grounds:

- (a) The PUC is a **highly customized product** which can only be broadly compared and can't be compared one to one in all its physical characteristics. Therefore, the products within the PUC as supplied by the DI, as supplied by the Exporters and even within the exporters as supplied by different exporters are different and their weights are **not comparable** with each other in most cases. The drawings differ from part-to-part, customer-to-customer, within each customer model-to-model and capacity-to-capacity. Even after having the drawings in place, it is difficult to achieve exact weight as per the drawing and a tolerance limit of 8% to 10% is a standard norm in the industry.
- (b) The investigation was time bound with the 18<sup>th</sup> month (non-extendable) deadline approaching and the **DI never raised this issue till the last 18<sup>th</sup> month**. The issue raised by the DI in the post-disclosure comments in the 18<sup>th</sup> month of initiation as well as in the CESTAT was **appropriately considered by the then DA** and examined in detail on file.
- (c) The appropriate corrections, by increasing the weight reported by the exporter in their originally filed EQRs, were made by the Authority in the Final Finding dated 28.07.2017 as mentioned in para 17 above.
- (d) The maximum Export to India of the PUC is of Finished Castings (92%), while the **DI has sold only 10% of the Finished castings** (that too from the job workers not forming part of the DI) during the POI. For these finished castings of DI, it makes only raw castings and send them to the other party/contractor and further sold to the consumers.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority